संख्या 996 /I/2011-05/90/TC-II/2008

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0,
देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,
पिटकुल,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक, 07 जून, 2011

विषय : छठें वेतन आयोग के लागू होने फलस्वरूप मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–494/XXVII(7)म0कि0/2010 दि0 18–06–2010 द्वारा हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एवं एपेक्स वेतनमान के नियत वेतन के पद के मकान किराया भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण किया गया है। शासनादेश सं0–11/I/2010/05-90/2008 दि0 05–01–2010 द्वारा ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक का वेतनमान रू0 69,010.00–79,000.00 निर्धारित किया गया है, का अधिकतम एच0ए0जी0 वेतनमान के बराबर है। अतः वित्त विभाग के शासनादेश सं0–494/XXVII(7)/म0कि0/2010 दि0–18–06–2010 के अनुसार ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक को निगमों द्वारा मकान उपलब्ध न कराये जाने पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्तानुसार वेतनमान/नियत वेतन के पूर्णकालिक पदों के मकान किराये भत्ते की प्रभावी तिथि तथा अन्य शर्तें उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही यथावत रहेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के पत्र सं0–190/XXVII(7)/2010 दि0 01–06–2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

संलग्नक :– यथोक्त।

D:\Nirmal\G.O\HRA of three Corporations (6th Pay Commission).doc